

उत्तमान:- रामदेवा आवि बनाम काबूराग चणैठ
दावा बाबत विशेषज्ञा स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 24/7/23 फर्द अहकाम
वादी की ओर से श्री हरशराम गूर्जर एडवोकेट ने
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया
गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को
जसिये तहसीलदार टोडागीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड
आक द्वारा नोटिस से तालब कर पत्रावली दिनांक 11.08.2023 को पेश
हो।

3083-88
24/7/23

(गौरव कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं फर्द सहायक कलक्टर
टोडागीम जिला करौली

11.8/23 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित, तहसीलदार
टोडागीम के प्रतिवादीगण के तलब नोटिस द्वारा
P.O. शाहपुर स्थितानुसार पत्रावली दिनांक
21-9-23 को पेश हो।

21/9/23 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन
रखा गया है। गतानुसार दिनांक... 03.11.23
को पेश हो।

3/11/23 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी... काबूराग चणैठ
पत्रावली गतानुसार दिनांक... 9.11.2024
को पेश हो।

9/1/24 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी
नं 2, 4, 5 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा
एडव ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल
पत्रावली रहे। एवं प्रतिवादी नं 1, 3 के नोटिस
तागील परिवारजनों से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई
है। बाबजूद सूचना कोई उपा नहीं हुआ। इसलिए
उक्त के खिलाफ एड तरफा नार्चवाली अफिल में

(5)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जि

दिनांक	फर्द अहकाम
25 ⁷ / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित पत्रावली गतावुत वाले वादी साक्ष्य किंगड उभयपक्ष को पेश हो।
31 ⁷ / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारण उपर वादी वकील को वादी साक्ष्य पेश करने के लिए अदालत भौका दिया गया। वाले वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 30.8.24 को पेश हो।
30 ⁸ / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारण उपर वादी वकील को 100% कौर्ट पर वादी साक्ष्य पेश करने की हिदायत दी गई। वाले वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 5.9.24 को पेश हो।
5-9-24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारण उपर वादी वकील को साक्ष्यवादी दिनांक 10-9-24 को पेश हो।
10 ⁹ / ₂₄	वादी वकील/वकील उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी..... इत्यादि उपस्थित हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक..... 7.10.24 को पेश हो।
7-10-24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारण उपर वादी वकील को साक्ष्यवादी पेश करने के लिए अदालत भौका दिया गया। वाले साक्ष्यवादी दिनांक 6-11-24 को पेश हो।
6-11-24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारण उपर उपस्थित। वादी वकील को साक्ष्य पेश करने के लिए अदालत भौका दिया गया। वाले साक्ष्यवादी दिनांक प्रसन्न इत्यादि उपस्थित हैं।

य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

फर्द अहकाम

उपखण्ड वाडी पकीव उपखण्ड नदी हुका
 जाट २ कावाज डिलाई नदी इसके उपखण्ड
 नी वाडी हुका वाडी पकीव की डी उपखण्ड
 नदी हुका इसके वाडी का ठकल-डावा
 रकाई भिषे-चासा वाडी हुका वाडी पकीव
 की काडम पैरवी काडम हाजीपी मे शारीजा
 फिका जाला है / पनाचली पैरवार हुका
 डोकल नरकर से कम कर डारिल
 डरल डी R